MP No 791 (MB) 98

Hon'ble Judge (P.I.L.Cell)

May kindly see the letter petition enclosed herewith. The details, in brief, are as under:-

A letter petition dated 11.2.1998 along with enclosures, addressed to Hon'ble Senior Judge, High Court, Lucknow Bench, Lucknow, has been sent by one Rajesh Kumar Tripathi, s/o Late Sri Hari Shanker Tripathi, r/o House No. 324, Temple Road, Daliganj, Lucknow. Hon'ble C.J. (sitting at Lucknow) has been pleased to mark it to the PIL Cell.

The petitioner Rajesh Kumar Tripathi avers in his letter petition that Gomti water is being polluted due to flow of filthy waters from Sugar Mills, the names of Mills have been disclosed in the letter petition. The petitioner has filed photo copies of some newspapers in support of his averments. Due to flow of filthy waters, the entire water of Gomti river have become reddish. The attention of the officers of Pollution Control Board was invited towards this problem but they are not ready to take any action in the matter and the polluted water of Gomti may harm to the health of Lucknowites. The petitioner prays the Hon'ble Court to take action against the responsible industries/ Nagar Nigam/Jal Nigam.

I have scrutinised the contents of the letter petition and also read the guidelines annexed with the order of Hon'ble the Chief Justice dated 11.9.1991. The letter petition appears to be covered under guideline No.8 of the Annexure which deals with 'petitions pertaining to environmental pollution, disturbance of ecological balance, drugs, food adulteration, maintenance of heritage and culture, antiques, forest and wild life and other matters of public importance'. If deemed proper, it may be entertained under 'Public Interest Litigation'.

Encl.
As above.

19/2
Addl. Registrar
19.2-98

18/3/98

1

WP No 791 (MB) 98. 2

प्रेषक:-राजेश कुमार त्रिपाठी, उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर त्रिपाठी निवासी म0नं0-324, मन्दिर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ।

सन्दर्भ :- गोमती जल प्रदूषण के सम्बन्ध में जनहित याचिका ।

सेवा में,

माननीय सीनियर न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार जी,
उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में माननीय न्यायमूर्ति ने स्वयं अखबारों में पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद थी कि न्यायालय स्वत: लखनऊवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं संज्ञान लेकर जनहित में उद्योगों, नगर निगम, जल निगम, प्रदूषण बोर्ड पर कार्यवाही करेगा परन्तु मुझे पता चला कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है । न्यायपालिका की आँखों पर पट्टी है अतएव मैंने उचित समझा कि इस पत्र द्वारा न्यायपालिका को बता सकूँ कि लखनऊ नगरवासियों जिसमें हम आप व सभी लोग हैं की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले उद्योगों नगर निगम, व जल निगम व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

महोदय, गोमती नदी का पानी 02फरवरी, 1998 को एकाएक हजारों गैलन चीनी मिलों के कारखानों से छोड़े गए कचरे की वजह से रंगीन व विषाक्त हो गया। यह अपस्ट्रीम चीनी कारखाने [1] बजाज शुगर मिल लखीमपुर [2] अवध शुगर मिल हरगांव सीतापुर व [3] सेफ ईस्ट शुगर मिल, संडीला, हरदोई जिम्मेदार हैं। कृपया अखबार सहारा- 02फरवरी, 1998 की प्रति संलग्न है।

महोदय, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवम् सदस्य सचिव कहते हैं पानी प्रदूषित नहीं है मात्र रंगीन है, शायद हजारों गैलन रंग गोमती जल को रंगीन करने के लिए छोड़ गया जिससे लखनऊवासी होली खेल सकें।

महोदय, जल संस्थान व नगर निगम भी लखनऊ के कचरों को बगैर शुद्धि नियंत्रक यंत्र के बिना नदी में बहाते हैं व अपना दायित्व चन्द पैसों के लिए दूसरों पर थोप देते हैं।

महोदय, प्रदूषण नियन्त्रण के अधिकारी कहते हैं कि चीनी मिलों के पास शुद्धि संयन्त्रक यन्त्र हैं तो पानी, प्रदूषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है लेकिन यह यन्त्र मात्र दिखावा है अन्यथा तीनों शुगर मिल के नालों में पानी रंगीन नहीं होता और गोमती जल रंगीन नहीं होता। क्षेत्रीय अधिकारी चन्द पैसों के लिए लखनऊ वासियों की जिन्दगी से खेल रहे हैं।

क0प0उ0 ---2/

कृपया, उपरोक्त सभी उद्योगों, जल निगम, नगर निगम व अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर उचित कार्यवाही ... नगर वासियों जिसमें हम-आप व सभी अधिकारी व उनका परि... सम्मिलित है, के जान माल की रक्षा हो सके।

RK

दिनांक 14-02-1998ई0।

हस्ताक्षर ...

प्रतिलिपि:-

1- श्रीमान् जिलाधिकारी, लखनऊ।
2- पर्यावरण सचिव उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
3- नगर विकास सचिव, उ0प्र0, शासन, उ0प्र0 सचिवालय, ...

PIL Cell
18/2/98

Chief Justice
~~17-2-98~~

Hon'ble The Chief Justice
Hon'ble ~~Rajesh~~ Bo R Jaspreet Singh, J.
Disposed of.
For order, see order of the date passed on one (01) seperate Sheet
15.07.22

Hon. B. Kumar, J.
Hon. A. S. Gill, J.

The office shall furnish two copies of the letter petition to the State counsel and to Sri Kamlesh Singh who represents U.P. Pollution control Board. Notices and copies may also be sent to the factories named in the complaint. The opposite parties are directed to file reply within three weeks.

List on 13-4-1998.

Dt: 20/3/98

इटौंजा (लखनऊ) में सोमवार को चुंनावी सभा को सम्बोधित करती हुई बसपा उपाध्यक्ष मायावती। छाया : राष्ट्रीय सहारा

रूप से घायल सत्यपाल को उपचार के लिए हल्द्वानी से यहां भेजा गया था।

वारदात है। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

गोमती नदी में चीनी मिलों का कचरा छोड़े जाने का दुष्प्रभाव

शुद्ध होने तक जलापूर्ति कम प्रेशर पर

सहारा समाचार

लखनऊ, 2 फरवरी। लखीमपुर और सीतापुर की चीनी मिलों द्वारा कचरा छोड़े जाने से प्रदूषित हुए गोमती नदी के पानी को जलसंस्थान पूरी तरह शुद्ध नहीं कर पा रहा है। प्रदूषण के कारण लाल और कहीं-कहीं भूरे रंग के पानी के साथ गर्द घरों में न पहुंचे और बीमारियां न फैले इसलिए पूरी तरह से शुद्ध होने तक पानी की आपूर्ति कम प्रेशर पर की जाएगी।

जलसंस्थान स्थित सूत्रों ने बताया कि लखीमपुर और सीतापुर चीनी मिलों ने गत 31 जनवरी की रात को गोमती में कचरा छोड़ा। एक फरवरी की सुबह गऊघाट से जो पानी एकत्र किया गया वह एक दम लाल और भूरे रंग का था। जलसंस्थान पानी को साफ करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में क्लोरीन तथा फिटकरी आदि का भी उपयोग किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो सका।

प्रदूषित पानी की आपूर्ति से शहर में बीमारी फैलने और भय का वातावरण बनने से पहले ही जलसंस्थान के उच्चाधिकारियों ने कम प्रेशर पर आपूर्ति करने के निर्णय के साथ-साथ सीतापुर और लखीमपुर के जिलाधिकारी को आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तार द्वारा सूचित भी कर दिया गया है। जलसंस्थान की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी इस सम्बंध में सूचित कर दिया गया है। जलसंस्थान ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपरोक्त दोनों चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आग्रह किया है।

गोमती के पानी में अचानक प्रदूषण बढ़ने के मामले पर आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एवं लखनऊ जलसंस्थान के अधिकारियों के बीच वार्ता भी हुई, बाद में तय किया गया कि दोनों विभागों के अधिकारियों का दल कचरे के उत्सर्जन स्थल से पानी का नमूना लायेगा। उस पानी का वैज्ञानिक परीक्षण के बाद यदि यह निश्चित हो जाता है कि यह प्रदूषण उपरोक्त चीनी मिलों द्वारा ही फैलाया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में नगर प्रमुख डा. एस.सी. राय ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक प्रदूषित पानी को साफ कर लिया गया है और शुद्ध पानी ही राजधानी में आपूर्ति किया जा रहा है। उन्होंने सीतापुर और लखीमपुर संयुक्त जांच दल भेजे जाने की भी पुष्टि की। जलसंस्थान से मिली जानकारी के अनुसार आज पानी पूरी तरह शुद्ध न किये जाने के कारण सिर्फ दो पम्प ही चलाये गये थे। पानी कम होने के कारण आपूर्ति का प्रेशर भी कम कर दिया गया है।

आज भी पेयजल संकट की आशंका

लखनऊ, 2 फरवरी। गोमती नदी में अचानक प्रदूषण बढ़ने और जलापूर्ति का दबाव कम होने से पुराने लखनऊ समेत सोलह प्रमुख क्षेत्रों में कल भी पेयजल किल्लत रहने की आशंका है। आज भी तमाम क्षेत्रों में लाल और भूरे रंग के पानी की आपूर्ति हुई है।

जल संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार ऐशबाग स्थित जल संस्थान से ऐशबाग, पुराना शहर, राजेन्द्र नगर, के.के.सी. हैवलाक रोड लालबाग, मीरा बाई मार्ग तथा खदरा आदि क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की जाती है। इसी तरह बालागंज स्थित जल संस्थान से बालागंज, राजाजीपुरम ठाकुरगंज विक्टोरिया चौक, कश्मीरी मुहल्ला और न्यू हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की जाती है।

प्रदूषित पानी से बीमारी फैलने की आशंका

सहारा समाचार

लखनऊ, 2 फरवरी। हरगांव तथा गोला स्थित चीनी मिलों द्वारा गोमती में छोड़े गये कचरे से प्रदूषित पानी की आपूर्ति से राजधानी में बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने की आशंका है। औद्योगिक कचरे से पानी की बायलाजिकल आक्सीजन डिमाण्ड (बी.ओ.डी.) बढ़ जाती है और मछली व अन्य जल्य जीव मरने लगते हैं। इसके अलावा भारी धातु और शीशा घुला होने के कारण त्वचा रोग, हड्डी रोग तथा पेट का अल्सर भी हो सकता है।

यह जानकारी आज यहां आई.टी.आर.सी. के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने दी। उन्होंने बताया कि फरवरी से शुगर फैक्ट्रियों में पेराई बन्द होने लगती है। इस दौरान वे मशीनों की सफाई आदि का कार्य शुरू करते हैं। मशीनों को साफ करने के लिए विभिन्न रसायनों के साथ-साथ कुछ विषैले तैलीय पदार्थ भी उपयोग किए जाते हैं। ये पदार्थ (शुद्ध किए बिना) ही सीधे नदी में डाले जाने से बी.ओ.डी. लगातार बढ़ती रहती है।

गत 31 जनवरी की रात को अचानक गोमती में बढ़े प्रदूषण पर आई.टी.आर.सी. के वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी का वर्तमान नमूना लिए बगैर कुछ भी प्रमाणिक नहीं हो सकता, फिर भी हरगांव और गोला की चीनी मिलों द्वारा बिना शुद्ध किए ही कचरे को गोमती में डाले जाने तथा बीमारियां फैलने की सामान्य घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि यदि गोमती को इस प्रदूषण से मुक्त नहीं किया गया तो आगे आने वाली सन्तति रोगी ही होगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में तैनात डा.राजीव ने बताया कि पीने योग्य पानी में डी.ओ. (घुलित आक्सीजन) पांच मिलीग्राम प्रति लीटर से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। हरगांव और गोला स्थित शुगर फैक्ट्रियों द्वारा कचरा छोड़े जाने और घुलित आक्सीजन की मात्रा तीन मिलीग्राम प्रति लीटर तक गिर जाने पर उन्होंने कहा यह पानी विषाक्त तो है ही साथ ही अगर इसमें आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक कैमिकल घुले हैं तो भोजन से प्राप्त कैल्शियम तथा आयरन को पचाने की क्षमता कम हो जाती है।

डा.राजीव ने बताया कि उपरोक्त कारणों से खून बनना बंद हो जाता है, हड्डियों में भुरभुरापन और पेट में अल्सर की शुरुआत हो सकती है।

प्रशासन की मुस्तैदी से पुराने शहर में स्थिति शान्त

तक एक साल के लिए बनेगा। प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना जरूरी होगा। समय पर

लाइसेंस निलम्बित या निरस्त हो जाने के बाद कोई भी नर्सिंग होम नगर निगम सीमा में नहीं

गौरतलब है कि उपविधियां लागू करने अब शासन से अनुमति लेना जरूरी नहीं

चीनी कारखानों ने कचरा बहाया गोमती का पानी मटमैला हुआ

जागरण संवाददाता

लखनऊ, सोमवार। गोमती अपस्ट्रीम पर स्थित चीनी कारखानों द्वारा अपना कचरा बहा दिये जाने से आज सुबह गोमती का पानी भूरा हो गया। जिससे संबंधित महकमों में हड़कम्प मच गया है।

आनन-फानन में शहर में सुरक्षित जलापूर्ति के मकसद से 'हैवी क्लोरीनेशन' शुरू कर दिया है। जल संस्थान का दावा है कि फिलहाल अभी तक स्थितियां पूरी तरह से नियन्त्रण में है और जलापूर्ति में इस का रंग कोई प्रभाव नहीं है।

इधर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने भी परीक्षण के लिए इस भूरे पानी का नमूना आज सुबह ले लिया है और साथ ही बोर्ड ने एक दल भी इन कारखानों के निरीक्षण के लिए रवाना कर दिया है। जाहिर तौर पर इस भूरे पानी ने एक बार फिर सरकारी कोशिशों की पोल खोल दी है। 6 महीने पहले भी अगस्त, 97 में गोमती का पानी भूरा व पीले रंग का हो गया था। उस समय भूरे-भूरे रंग की जलापूर्ति को लेकर संबंधित विभागों द्वारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाले जाने से काफी विवाद पैदा हो गया था। इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये, इसलिए तभी उच्चस्तरीय फैसला लेकर लखनऊ नगर निगम, जिला प्रशासन व बोर्ड के अधिकारियों का एक 'संयुक्त निगरानी दल गठित' किया गया था। इस दल को दायित्व सौंपा गया था कि वो हर रोज गऊ घाट इन्टेक पर पानी का नमूना एकत्र करेगा और गोमती के पानी पर निगरानी रखेगा। लेकिन दुबारा गोमती नदी का पानी भूरा होने की खबर ने इस निगरानी दल के औचित्य पर सवालिया निशान तो लगा ही दिया है, बल्कि संबंधित महकमों का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी उजागर हो गया है। जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता श्री परिहार ने बताया कि 60 से 70 किलो क्लोरीन से पानी का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूरे पानी पर नियन्त्रण रखने के लिए गऊघाट इन्टेक से निर्धारित 200 एम.एल.डी. पानी न लेकर केवल 150 एम.एल.डी. पानी ही आज लिया गया है। साथ ही जलापूर्ति भी कम कर दी गई है, क्योंकि जोड़ में पानी की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। कोशिश यह भी रहेगी कि इन्टेक से भूरा पानी बह जाये।

सूचना विभाग ने रातोंरात दर्जनों होर्डिंग्स हटायी

लखनऊ, सोमवार। सूचना विभाग ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल की उपलब्धियां दिखाने वाली राजधानी में लगी दर्जनों होर्डिंग्स को आज देर रात तक हटाने की कार्रवाई की। समझा जाता है कि इन्हें हटाने के शख्त निर्देश चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को दिए हैं। सूचना विभाग की राजधानी के प्रमुख मार्गों व स्थानों पर पचास से अधिक ऐसी ... लगीं हैं जिसमें मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनायी गयी हैं। इन होर्डिंग्स के लगे होने का चुनाव पर प्रभाव पड़ने और अन्य दलों द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत करने पर आयोग ने शिकायत करने पर आयोग ने राज्य सरकार से इन्हें तत्काल हटवाने के निर्देश दिए हैं।

सूत्र बताते हैं कि मुख्य सचिव आर.एस. माथुर ने आज जिला प्रशासन नगर निगम और सूचना विभाग से होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए हैं।

कम वसूली पर अधिकारी को कड़ी चेता

जागरण संवाददाता

लखनऊ, सोमवार। गृहकर वसूली में ल बरतने पर जोन-दो के जोनल अधिकारी चेतावनी दी गयी है। आज अपर मु अधिकारी ने वसूली की मासिक समी की। बैठक के बाद अपर मुख्य नगर अधि गुप्ता ने बताया कि जनवरी में कुल 96 गृहकर वसूली हुई। जोन एक के वसूली लाख जोन दो की बीस लाख रही जबकि की वसूली 48 लाख रही। उन्होंने बताया दो की वसूली लक्ष्य से दस लाख कम पर जोनल अधिकारी एल.सी. मिश्रा को दी गयी है कि वे निर्धारित लक्ष्य के अनुसा सुनिश्चित करें। सुश्री गुप्ता ने बताया कि लक्ष्य ग्यारह करोड़ के लगभग वसूली की हैं। उन्होंने कहा कि वसूली का लक्ष्य और जायगा।

गायत्री परिवार का सरस्वती कार्यक्रम आज तिलक हाल

जागरण संवाददाता

लखनऊ, सोमवार। गायत्री परिवार कल हाल में सरस्वती पूजा का वृहद आयोजन हैं। गायत्री परिवार के स्थानीय प्रतिनिधि मिश्र के अनुसार सचिवालय तिलक हाल वाली गोष्ठी में बहुत कर्मचारियों सहित अधिकारी भी शामिल होंगे। गोष्ठी को शां हरिद्वार के विशेष प्रतिनिधि डा. ओम प्रका सम्बोधित करेंगे। शाम 5 बजे से आयोजित डा. शर्मा ज्ञान पर चर्चा करेंगे। श्री मिश्र के धनवान दीपावली को, शक्तिवान दशहरे विनोदी होली को, तपस्वी स्रवणी को महत्व लेकिन सरस्वती पूजा का बहुत अधिक मह

S

S

PK

दूसरे के पूरक लगते है।

में पेड़ों पर बैठे कई तोते चित्रित किये गये हैं। इस चित्र के पीछे छिपा है एक गूढ़ दर्शन। आदमी की

ग्यारह से साय सात बजे तक अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

दुःखी

मुख्यमंत्री कल्याण
... एवं नलकूप निगम
... के पिता श्री कामता
... निधन पर गहरा दुःख
संदेश में मुख्यमंत्री ने
... प्रति हार्दिक संवेदना
हुए दिवंगत आत्मा की

...क

... वार्ड की सपा सभासद
...सभा ने अपने कार्यालय
... एक आवश्यक बैठक
... में महिलाओं ने भाग

...हरायी

...में कहा गया है कि माफी
...के साथ धोखाधड़ी

... अपने को सेक्युलर कहने
... की थी। इस दिशा
... नेताओं ने कोई कदम नहीं
... लोकसभा चुनाव लड़ने का

...पार्टी या किसी भी एक मोर्चे
... बताया कि इन सभी पार्टियों
... समर्थन देने को कहा था।
... गुमराह करते हैं। ... इन्हें
... उठाया है। उन्होंने कहा कि
... जनता पार्टी को सत्ता में आने

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा गऊघाट का पानी प्रदूषित नहीं

सहारा समाचार

लखनऊ, 3 फरवरी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सी.एस. भट ने दावा है कि गऊघाट से लिये जाने वाले पानी में किसी खास किस्म का प्रदूषण नहीं है, जबकि लखनऊ जलसंस्थान ने आज फिर कहा है कि सीतापुर और लखीमपुर की शुगर मिलों द्वारा बिना शोधित कचरा छोड़े जाने से पानी प्रदूषित हो चुका है।

जलसंस्थान के कार्यवाहक महाप्रबन्धक आर.पी.एस. परिहार ने आज फिर कम मात्रा में रावाटर इकट्ठा किये जाने के परिणाम स्वरूप कम प्रेशर से जलापूर्ति किये जाने की जानकारी दी है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सी.एस. भट ने बताया कि जलसंस्थान की शिकायत पर आज गऊघाट पर जाकर रावाटर का निरीक्षण किया, लेकिन वहां किसी तरह का प्रदूषण नहीं मिला। अलबत्ता तीन सदस्यों की एक टीम लखीमपुर और सीतापुर भेजी जा चुकी है।

श्री भट ने बताया कि हरगांव (सीतापुर) वाली शुगर फैक्ट्री पांच दिन पहले से बंद चल रही है। इसलिए वहां से कचरा छोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं है फिर भी एहतियात के तौर पर वहां भी निरीक्षण दल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सभी फैक्ट्रियों में कचरा शोधक यंत्र लगे हैं। इसवर्ष अभी तक की गयी जांच में कभी भी शुगर मिल दोषी नहीं पायी गयी है। अगर इस बार भेजे गये दल को कोई अनियमितता दिखायी दी तो कड़ी कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

नेत्र चिकित्सा शिविर

लखनऊ। लायंस क्लब लखनऊ ग्रेटर द्वारा श्रृंगार नगर स्थित बारातघर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुये क्लब के अध्यक्ष लायन जय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर संयोजक लायन विजय कुमार शर्मा की देखरेख में 509 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया तथा 45 नेत्र रोगियों का सफल आपरेशन डा. अनुराग भार्गव के नेतृत्व में सी.एम.ओ. टीम द्वारा किया गया।

शोक

लखनऊ। प्रदेश के परिवहन मंत्री जगदम्बिका पाल ने टिहरी जनपद में बस दुर्घटना में हुई सात व्यक्तियों की मृत्यु पर हार्दिक दुःख व्यक्त किया है।

आरोप बेबुनियाद

लखनऊ। सेन्ट्रल पी.डब्ल्यू.डी. मज़दूर यूनियन ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य पालक इंजीनियर पर लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कार्य पालक इंजीनियर एम.के. अहमद व मुख्य इंजीनियर कृष्ण कांत के कार्यकाल में विकास कार्यों में तेजी आयी है

सराहना

लखनऊ। विश्व हिन्दू परिषद के अवध प्रान्त के संगठन मंत्री श्रीराम नरेश मिश्र ने एक बयान के माध्यम से कहा कि कारसेवकों पर से मुकदमें वापस लेकर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सराहनीय कार्य किया है।

सूचना

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-20 लखनऊ एवं 21-मोहनलालगंज, लखनऊ के समस्त प्रत्याशियों एवं लखनऊ स्थित मुद्रणालयों को अवगत कराया जाता है कि निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर अथवा हैण्डबिल आदि मुद्रित किये जाने पर प्रिन्ट लाइन पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जाये। निर्वाचन सामग्री आदि के मुद्रण कार्य कराने से पूर्व मुद्रक को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127-क (2) की शर्तों के अनुसार अनुबंध पत्र भरकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को भेजा जाना है। अनुबन्ध एवं अन्य निर्देशों की जानकारी के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। ऐसा न करने पर उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

(प्रभात सिन्हा)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
लखनऊ।

6